न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील सं0 149/2022

देवाराम पुत्र मुकनाराम
बनाम
भंवरलाल पुत्र खेताराम वगैरा

दिनांक 31.10.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 27ए/2021 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 प्रार्थी–भंवरलाल ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील ओसियां स्थित ग्राम खेतारसर के ख0नं0 233/2 रकबा 0.6475 हैक्टर भूमि, की पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स–अप्रार्थी सं0 1–देवाराम ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आग्रह किया कि वादग्रस्त भूमि के पडौस में अप्रार्थी के खेत खसरा नं0 233/1 स्थित है, जिसकी सेढों को लेकर विवाद रहता है। वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 07.06.21 को करवाया गया, जिसमें खुटे रोपने को लेकर भी आपसी विवाद हुआ, अतः पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी–अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर आग्रह किया अपीलांट वर्ष 1963 से अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज काश्त है। जिसकी वर्ष 2018 में सीमांकन कर तरमीम की गई थी। सेग्रीगेशन कार्य के दौरान इसकी पूर्व तरमीम से विपरित तरमीम कर दी गई थी, जिसका सुधार हेतु अलग–अलग दावे चल रहे है। अपीलार्थी एवं रेस्पो0सं0 1 व अन्य खातेदारान के मध्य बंटवाडा हो रखा है तथा मौके पर सभी बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार तरमीमशुदा भूमि पर काबिज है। अपीलार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत वाद में स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.6.21 को अपीलांट के ख0नं0 233/1 के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया हुआ है। इस स्थिति में अथवा वाद के निर्णय से पूर्व वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी की कार्यवाही नही की जा सकती है। इसके उपरांत

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तरमीम दुरूस्ती के पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट–अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति मय जवाब के संबंध में अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट किया हुआ है कि खसरा नं0 233/1 की तरमीम दुरूस्ती का वादपत्र विचाराधीन है, जिसकी प्रतिलिपी अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संलग्न जवाब पेश की है। लेकिन वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 233/4 की पूर्व में की गई तरमीम अलग स्थान पर होने का उल्लेख है, जबकि प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 233/2 है। जिस बाबत किसी प्रकार का कोई उल्लेख वादपत्र में नही है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश ख0नं0 233/2 की पत्थरगढी का विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद फर्द सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 7.6.21 में मुख्यतः यह उल्लेखित है कि ''तहसीलदार ओसियां के आदेश कमांकः 788–89 दिनांक 25.2.21 की अनुपालना में ग्राम खेतासर के खसरा नं0 233/2 (प्रार्थी–रेस्पो0) की पैमाईश की गई। तहसीलदार ओसियां के आदेश कमांक 1506 दिनांक 25.5.96 की अनुपालना में ख0नं0 233/1 का सीमांकन किया गया, तब से लेकर आज तक उक्त खसरान में मुस्तगीश व मुस्तगीश के भाई मोहनराम (अपीलांट) का कब्जा काश्त है।'' इससे प्रतीत है कि ख0नं0 233/2 व 233/1 की तरमीम काबिज काश्त खसरान के विपरित है। फर्द सीमांकन रिपोर्ट में प्रार्थी–रेस्पो0–भंवरलाल व मोहनराम पुत्र खेताराम को ख0नं0 231/1 पर काबिज काश्त बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का ध्यान मौका फर्द दिनांक 7.6.21 में उल्लेखित उक्त तथ्य पर नही गया। इस स्थिति में अपीलांट का यह कथन मानने योग्य है कि सेग्रीगेशन कार्य के दौरान इसकी पूर्व तरमीम से विपरित तरमीम कर दी गई, प्रकरण में उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तरमीम दुरूस्ती के वाद के निर्णय से पूर्व वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी की कार्यवाही की जाना विधिसम्मत नही है।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य पायी जाने से तदनुसार स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर) द्वारा राजस्व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 27ए/2021 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2022 अपास्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन आदेश में उल्लेखित तरमीम दुरूस्ती के वाद के निर्णय/वाद के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण में तहसीलदार से रेकर्ड एवं मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर, समस्त तथ्यों की जांच एवं विस्तृत विवेचन के उपरांत, वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी हेतु नये सिरे विधिसम्मत निर्णय पारित करावें।

निर्णय आज दिनांक 31.10.25 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

31.10.25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर